राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.11(14)नविवि/टाउनशिप पॉलिसी/2024–10169 जयपुर, दिनांकः यथा हस्ताक्षरित

–:आदेशः–

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार आंतरिक विकास कार्यों हेतु निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात नियमानुसार शास्ति ली जाकर 02 वर्ष तक तो समयावधि बढ़ाए जाने का प्रावधान तो है परंतु इसके पश्चात समयावधि बढ़ाने बाबत कोई प्रावधान निर्धारित नहीं है।

वर्तमान में राज्य में नवीन टाउनशिप पालिसी – 2024 लागू की जा चुकी है, जिसके अनुसार आतंरिक विकास कार्य पूर्ण करने हेतु समयावधि विस्तार हेतु निम्न प्रावधान है :–

"2.8 Development and Management of Scheme

(v) The time period for completing Internal Development works may be extended up to 2 years with 10% yearly penalty of total land premium by the local authority and further by the local body with additional penalty of annually 20%."

नवीन टाउनशिप पालिसी 2024 में इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान किये जा चुके है। अतः पूर्व की पॉलिसी के अनुरूप अनुमोदित योजनाओं में भी आतंरिक विकास कार्य पूर्ण करने हेतु समयावधि विस्तार 02 वर्ष के पश्चात् नवीन पालिसी के अनुरूप ही 20% वार्षिक शाश्ती लेते हुए निकाय स्तर पर ही आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने हेतु समयावधि में विस्तार किया जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.10.15 20:12:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18373393

7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर), जयपुर।
10. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त————————————————————।
13. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
14. प्रोग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव– प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.10.15 20:12:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18373393